प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **94/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
पंकज मेघवाल एडवोकेट पताः खेरवाड़ा, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा, उदयपुर

....................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को दिनांक 16.04.2025 कों आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/94/25/621–22 दिनांक 16.06.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक एफ1()आर.टी.आई./2025/1009 दिनांक 07.07.2025 से प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में जवाब पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक कोर्ट/मर्ग/आर.टी.आई./2025/609 दिनांक 19.05.2025 के द्वारा प्रार्थी को भिजवा दिया गया है। चूंकि सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(H) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम से बाहर है। सूचना संवेदनशील होकर संबंधित पक्षकार (प्रार्थी/प्रार्थीया) को ही दिया जाना संभव है। चूंकि प्रकरण न्यायालय में प्रक्रियाधीन होकर लंबित है एवं उक्त प्रकरण में श्री पंकज मेघवाल किसी भी पक्षकार की तरफ से उपस्थित नहीं हुए है। प्रकरण धारा 174 सीआरपीसी के तहत पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण निस्तारण हेतु प्रक्रियाधीन है, जिसकी सूचना जारी होने पर साक्ष्य एवं गवाह प्रभावित होने की आशंका (Specifically exempts such information which will impade the process of investigation revealing a copy of the entire report of the agency/Police) etc. होने के कारण उक्त सूचना श्री पंकज मेघवाल को नहीं दी जा सकती है।

प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विनीत कोठारी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि दिनांक 16.04.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मृतक अमृतलाल पिता शंकरलाल के संदर्भ में मर्ग संख्या 01/2023 पुलिस थाना बालवाड़ा से संबंधित मर्ग पत्रावली

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

की प्रमाणित प्रति चाही गई थी परन्तु आज दिनांक तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है और ना ही कोई अस्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में परिकथन किया गया है कि न तो वांछित सूचना उपलब्ध करवाई गई है और ना ही कोई अस्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर के साथ संलग्न पत्रांक 609 दिनांक 19.05.2025 से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(H) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम से बाहर होने एवं सूचना संवेदनशील होकर संबंधित पक्षकार (प्रार्थी / प्रार्थीया) को ही दिया जाना संभव होने के संबंध में सूचित किया गया है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर से संतुष्ट है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि मृतक अमृतलाल पिता शंकरलाल की पत्नी / माता–पिता द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार सूचना उपलब्ध करावें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर